2018के विधान परिषद उप-चुनाव के बारे में संक्षिप्त जानकारी

मतदान की तारीख और घंटे

- मतदान का दिन: 11 मार्च 2018 (रविवार)
- मतदान के घंटे: सुबह 7:30 बजे से – रात 10:30 बजे तक

चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या

- हांगकांग आइलैंड (द्वीप), कॉव्लून वेस्ट(पश्चिम)और न्यू टेरिटोरिज ईस्ट(पूर्व) भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों मे प्रत्येक के लिए एक सदस्य
- वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल), सर्वेक्षण (सर्वेवींग), नियोजन (प्लानिंग) और परिदृश्य (लैंडस्केप) फंक्शनल निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सदस्य

नामांकन अवधि

- उम्मीदवारी हेतु नामांकन अवधि: 16 – 29 जनवरी 2018
- नामांकन फॉर्म जिला कार्यालयों में, निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों, पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय ("आरईओ") के कार्यालयों 10/फ्लोर, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई, हांगकांग या यूनिट 2301-03, 23/फ्लोर, मिलेनियम सिटी 6, 392 क्वून टोंग रोड, क्वून टोंग कॉव्लून में उपलब्ध हैं। ये फॉर्म आरईओ वेबसाइट (www.reo.gov.hk) से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

मतदान व्यवस्था

- हांगकांग आइलैंड, कॉव्लून वेस्ट और न्यू टेरिटोरिज ईस्ट भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों और वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल), सर्वेक्षण (सर्वेवींग), नियोजन (प्लानिंग) और परिदृश्य (लैंडस्केप) फंक्शनल निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता जिनके नाम 2017 के अंतिम रजिस्टर में शामिल हैं, उप- चुनाव में अपने वोट डाल सकते हैं।
- हर मतदाता को एक नामित मतदान केन्द्र के लिए आवंटित किया जाएगा।
- मतदान के लगभग 10 दिन पहले संबंधित मतदाताओं को एक पोल कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर नामित केन्द्र प्रकाशित होगा।

- एक मतदाता के लिए नामित मतदान केंन्द्र, चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नही यह पोल कार्ड से जुडे नक्शे में निर्दिष्ट किया जाएगा। जो मतदाता व्हीलचेअर उपयोगकर्ता हैं या गतिशीलता कठिनाई वाले हैं और जो यह पाते हैं कि नामित मतदान केंद्र उनके लिए सुगम नहीं है, तो वे पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय को फैक्स द्वारा (2891 1180), ईमेल द्वारा (reoenq@reo.gov.hk), टेलीफोन द्वारा (2891 1001) या डाक से (रजिस्ट्रैशन एंङ इलेक्टोरल ऑफिस, 10 /फ्लोर, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई, हांगकांग) को **6 मार्च 2018 (मंगलवार)** से पहले ऐसे विशेष नामित निर्वाचन कार्यालय मे वोट डालने के लिए आवेदन कर सकते हैं जहाँ पर व्हीलचेअर से पहुँच हो सके।

- यदि मतदाता को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरुरत है तो वे अल्पसंख्यक जातीयों के लिए केन्द्र ("CHEER") की निम्नलिखित हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा **26 फरवरी 2018** से उपलब्ध होगी।

भाषा	**हॉटलाइन नंबर**
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
तागालोग	
थाई	
हिन्दी	3755 6822
नेपाली	
उर्दू	3755 6833
पंजाबी	

मतदान कैसे करें ?

- अपने नामित मतदान केन्द्र पर अपना हांगकांग पहचान पत्र या अन्य निर्दिष्ट मूल वैकल्पिक दस्तावेज लेकर जाएँ और मतदान कर्मचारियों को दिखाएँ । यदि आवश्यक हो, तो कृपया 1 दिसंबर 2017 के बाद स्वीकार किए जा सकने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों के विवरण के लिए आरईओ से संपर्क करें।
- आपको अपनी पात्रता के आधार पर एक या दो मतपत्र, "✓" (सही का निशान) लगा हुआ चॉप के साथ एक पेपर बोर्ड दिए जाएंगे।भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को मतदान कर्मचारियों द्वारा पहले से तह कर दिया जाता है। एक मतदान कक्ष के अंदर आपको अपने मतपत्र चिन्हित करने के लिए प्रदान किये गये चॉप का प्रयोग **करना** होगा।

- मतदान कक्ष के अंदर, मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे दिए हुए घेरे में पेपर बोर्ड से संलग्न "✓" (टिक) का चॉप लगाएँ।एक मतपत्र पर केवल **<u>एक</u>** उम्मीदवार के लिए मतदान करें। यदि आप कोई गलती करते हैं या एक मतपत्र खराब कर देते हैं तो कृपया मतपत्र अध्यक्ष अधिकारी को वापस करें और एक नए मतपत्र के लिए पूछें।

- एक मतपत्र अंकन करने के बाद:

  (a) मतपत्र को **नीली** मतपेटिका में डालने से पहले भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को मतदान कर्मचारियों द्वारा किये गये पूर्व-तह के अनुसार मतपत्र को तह करना चाहिए, ताकि "✓" (टिक) चिह्नित पक्ष अंदर छिप जाये;

  (b) वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल), सर्वेक्षण (सर्वेवींग), नियोजन (प्लानिंग) और परिदृश्य (लैंडस्केप) फंक्शनल निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक को मतपत्र तह नहीं करना चाहिए। कृपया इसे नीचे की ओर घुमाएं और **लाल** मतपेटी में डालें।

साफ चुनाव

भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (ICAC) द्वारा लागू किया जाने वाला चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप 554) के अनुसार, एक मतदाता को निम्नलिखित नही करना चाहिए:

- चुनाव में वोट न डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट डालने के लिए या न डालने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा,उपहार,सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना;

- किसी के मतदान निर्णय को प्रभाव करने के लिए दबाव या बाध्यता का प्रयोग या प्रयोग करने के लिए धमकाना;

- उनको/ उसको यह जानकारी होते हुए भी कि वे हकदार नही है मतदान पर वोट डालने के लिए; या जानबूझकर या बिना विचारे ही गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरण गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देना।